अध्याय-6

वित्तीय प्रबंधन

6.1 स्वास्थ्य सेक्टर पर बजट आबंटन एवं व्यय (केंद्र एवं राज्य सरकार)

राज्य में स्वास्थ्य अवसरंचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए राज्य के बजट के माध्यम से वित्त प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा बजट आबंटन एवं किए गए व्यय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बचत के विवरण ***तालिका 6.1*** में दिए गए हैं:

तालिका 6.1: स्वास्थ्य सेक्टर पर बजट प्रावधान एवं व्यय (भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार			हरियाणा सरकार		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2016-17	532.36	414.77	117.59	3,541.36	2,629.66	911.70
2017-18	563.82	442.56	121.26	3,733.87	2,933.91	799.96
2018-19	734.54	466.81	267.73	4,260.23	3,550.36	709.87
2019-20	720.84	588.83	132.01	5,007.62	4,401.29	606.33
2020-21	1,013.77	625.94	387.83	6,581.32	5,223.39	1,357.93
2021-22	1,225.19	783.90	441.29	7,320.13	6,113.63	1,206.50
2022-23	1,457.05	1,105.43	351.62	7,541.93	6,594.70	947.23
कुल	**6,247.57**	**4,428.24**	**1,819.33**	**37,986.46**	**31,446.94**	**6,539.52**

स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 6.1: कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत (प्रतिशत)

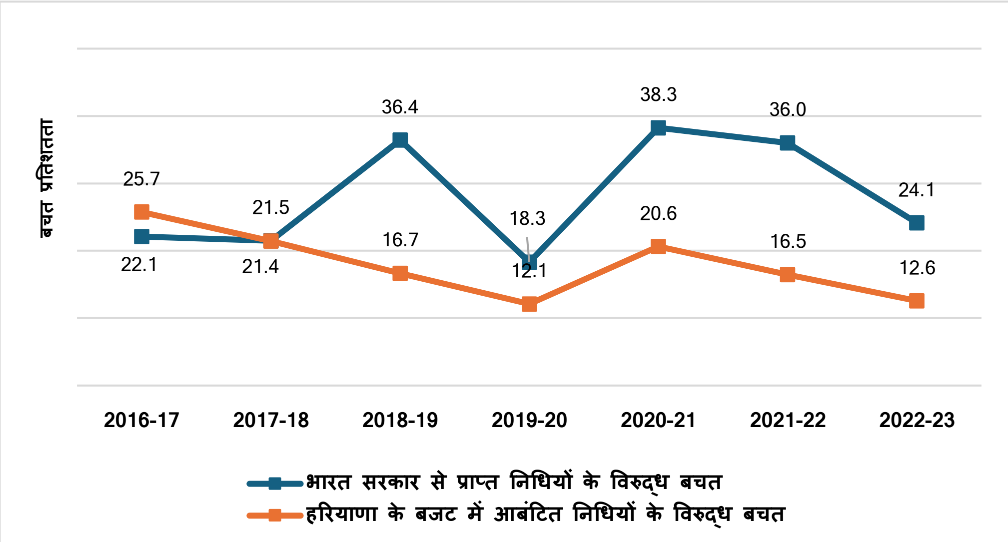

स्रोत: विनियोग लेखे

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर पर भारत सरकार द्वारा आबंटित कुल बजट के विरूद्ध 18.3 प्रतिशत से 38.3 प्रतिशत तक तथा राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट के विरुद्ध 12.1 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

6.2 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय का हिस्सा

राज्य सरकार केंद्रीय साझा (शेयरिंग) योजनाओं को लागू करती है, जिसमें प्राप्त निधियां/किया गया व्यय 60:40 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में होता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्लान योजनाओं एवं केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं को भी लागू किया जाता है। 2016-17 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार और राज्य के अधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय के साथ-साथ कुल व्यय ***चार्ट 6.2*** में दिया गया है।

चार्ट 6.2: 2016-17 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार और राज्य के अधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत किया गये व्यय के साथ साथ कुल व्यय

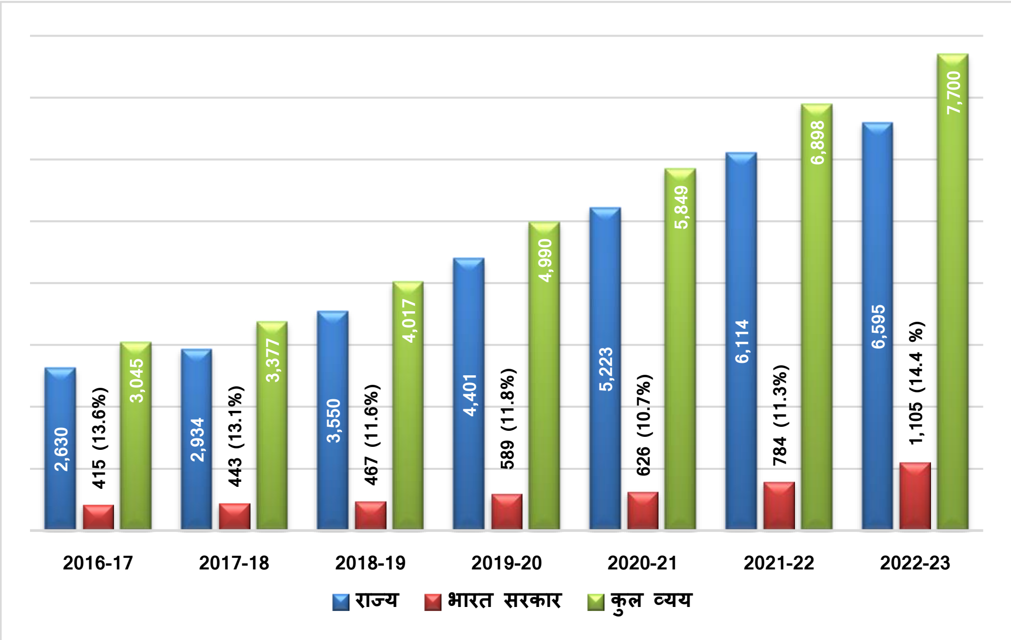

स्रोत: विनियोग लेखे

उपर्युक्त से, यह देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेक्टर पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय में भारत सरकार का अंशदान 10.7 प्रतिशत से 14.4 प्रतिशत के मध्य था।

6.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मानदंडों की तुलना में राज्य द्वारा स्वास्थ्य सेक्टर पर व्यय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुच्छेद 2.4.3.1 में सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में मौजूदा 1.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 2.5 प्रतिशत करने तथा 2020 तक राज्य सेक्टर के स्वास्थ्य व्यय को उनके बजट के आठ प्रतिशत से अधिक करने की परिकल्पना की गई है।

चार्ट 6.3 हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वास्थ्य सेक्टर पर राज्य के व्यय और इसके कुल व्यय की प्रतिशतता को दर्शाता है।

चार्ट 6.3: हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल व्यय की तुलना में स्वास्थ्य पर राज्य व्यय की प्रतिशतता

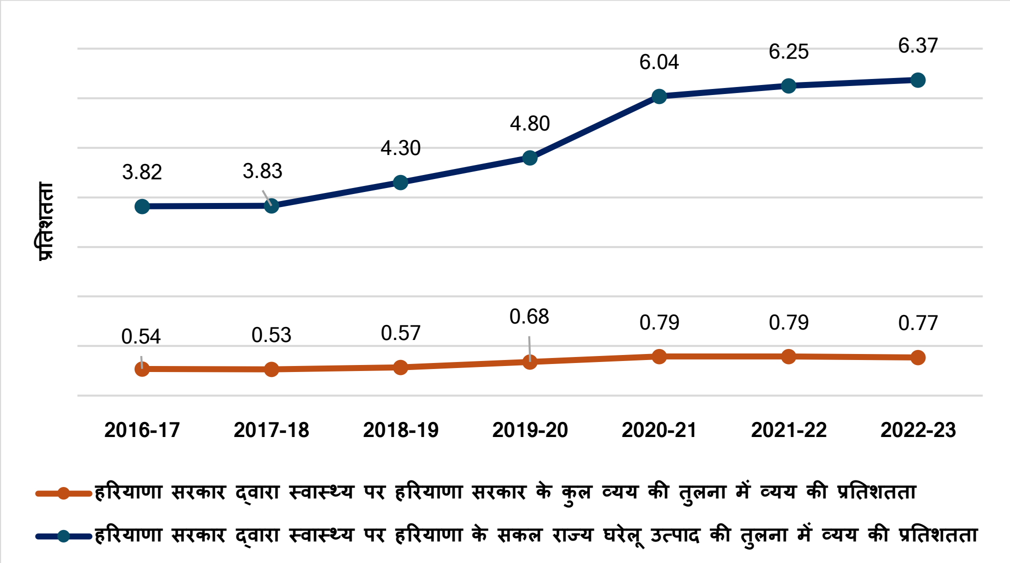

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त एवं विनियोग लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामले विभाग, हरियाणा से प्राप्त वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जानकारी

उपर्युक्त से, यह देखा गया है कि 2016-17 से 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर पर सरकारी खर्च 8 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध कुल व्यय का 3.82 प्रतिशत और 6.37 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016-17 के दौरान व्यय ₹ 3,044.43 करोड़ से बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹ 7,700.13 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत (2025 तक प्राप्त किया जाना है) के लक्ष्य के विरुद्ध, 2016-17 से 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य पर खर्च सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 0.77 प्रतिशत हो गया। ऐसे में सरकार के पास स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च बढ़ाने की अभी भी संभावना है।

6.4 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय

6.4.1 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय में स्थापना व्यय, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राज्य/केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर व्यय, अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता तथा दवाओं की खरीद शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों का निर्माण/मुख्य मरम्मत, भूमि का अधिग्रहण एवं राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

2016-23 के दौरान, स्वास्थ्य पर किए गए ₹ 35,875.18 करोड़ के कुल व्यय में से राजस्व व्यय ₹ 31,406.35 करोड़ (87.5 प्रतिशत) था जबकि पूंजीगत व्यय ₹ 4,468.83 करोड़ (12.5 प्रतिशत) था, जैसा कि नीचे दिए गए ***चार्ट 6.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.4: वर्ष 2016-17 से 2022-23 के लिए राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता

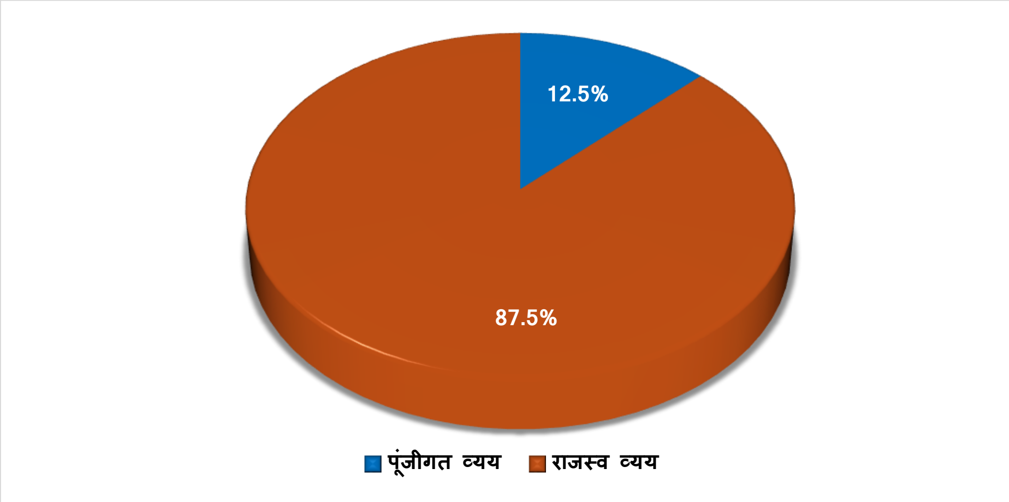

स्रोत: विनियोग लेखे

6.4.2 अवास्तविक बजट तैयार करना

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अक्तूबर 2019) के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण बजट प्रस्तावों के समेकन के बाद विभागों द्वारा बजट अनुमान ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्ष (2019-20) की भौतिक प्राप्तियों और अगले वित्तीय वर्ष (2020-21) के भौतिक लक्ष्यों की जानकारी भी प्रस्तुत की जानी थी।

तथापि, वित्त विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के संबंध में 2020-21 की अवधि के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष (2019-20) की भौतिक प्राप्तियां प्रस्तुत नहीं की गई। जिला कार्यालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों से निधियों के लिए कोई मांग निर्धारण नहीं किया गया था। बल्कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय में संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों, जिन्होंने पिछले वर्षों के अनुमानित व्यय के आधार पर योजनाओं का व्याख्यात्मक ज्ञापन तैयार किया था, द्वारा निधियों की आवश्यकताओं को केंद्रीय रूप से तय किया गया था। बाद के वर्षों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड से दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए बजट अनुमान तैयार करने के मामले में, यह देखा गया था कि वार्षिक मांग निर्धारण को जिला कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन ड्रग इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। तथापि, उस पर विचार नहीं किया गया था और बजट अनुमान पिछले वर्ष के व्यय तथा 10 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि पर आधारित थे। इस प्रकार, बजट अनुमान तैयार करने में बॉटम-अप/व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जा रहा था।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने अपने उत्तर में बताया (जून 2022) कि आवर्ती और अनावर्ती विकास योजनाओं के संबंध में बजट तैयार किया जाता है। आवर्ती विकास योजनाओं के संबंध

में जिलों से मांग प्राप्त नहीं होती है। अत: इन योजनाओं के संबंध में बजट पिछले वर्ष के बजट में हुई वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित है और वित्त विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।

अनावर्ती योजनाओं के संबंध में, संबंधित कार्यक्रम अधिकारी योजना का ज्ञापन प्रस्तुत करके, वित्त विभाग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बजट की मांग करते हैं। भौतिक लक्ष्यों/प्राप्तियों की जानकारी अपलोड करने के बाद ही बजट अनुमानों को क्रियान्वित किया जाता है।

तथापि, विभाग, कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा भौतिक लक्ष्यों/प्राप्तियों को प्रस्तुत करने का कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

6.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटकों पर बजट आबंटन एवं व्यय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार से 60:40 के अनुपात में निधियां प्राप्त हुई थी। 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय में व्यापक अंतर था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक, जिनमें बहुत अधिक भिन्नता है, ***तालिका 6.2*** में दर्शाए गए हैं। आबंटित बजट, व्यय और अप्रयुक्त शेष राशि का वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 6.1*** में दिया गया है।

तालिका 6.2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटकों पर बजट आबंटन एवं व्यय

योजना का नाम	2016-17 से 2022-23 के लिए कुल बजट (₹ लाख में)	2016-17 से 2022-23 के लिए कुल व्यय (₹ लाख में)	बजट से कुल व्यय की प्रतिशतता	उपयोगिता प्रतिशत							2016-17 से 2022-23 तक सात वर्षों के लिए स्पार्कलाइन
				2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2,466	1,482	60	60	59	68	37	57	61	78	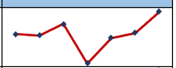
सूचना शिक्षा एवं संचार/ व्यवहार परिवर्तन संचार	9,478	5,127	54	47	50	48	44	39	59	71	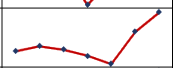
आयोडीन की कमी विकार	287	43	15	33	0	0	0	0	20	50	
उपकरणों/दवाओं की खरीद के लिए निधियां	28,862	11,139	39	12	29	33	67	24	48	41	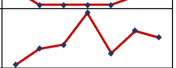
नए निर्माण/नवीकरण एवं स्थापना निधियां	30,084	1,738	6	24	10	85	47	2	1	10	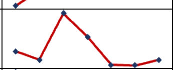
अस्पताल सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां	30,371	6,075	20	1,156	118	36	2	8	25	33	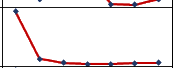
नवाचार गतिविधियां	5,278	1,099	21	134	4	8	25	73	13	35	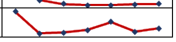

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा द्वारा दी गई जानकारी।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपयोग प्रतिशतता सभी वर्षों में भिन्न हैं। इन योजनाओं में लगातार बचत या आधिक्य अथवा दोनों थे। उदाहरण के लिए,

i. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मामले में, ₹ 2,466 लाख के बजट प्रावधान में से केवल ₹ 1,482 लाख (60 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। प्रबंधन ने अपने उत्तर (जनवरी 2024) में बताया कि निधियों के कम उपयोग का कारण मलेरिया की घटनाओं में कमी आना तथा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड से मलेरिया के लिए उपकरण/माइक्रोस्कोप और बाई-वैलेंट रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट की खरीद न होना था। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण और रसद आदि की खरीद जैसी कुछ गतिविधियां भी बाधित हुईं।

ii. सूचना शिक्षा एवं संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार के अंतर्गत बजट प्रावधान को प्रत्येक वर्ष (2020-21 को छोड़कर) बढ़ाया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 2016-17 से 2022-23 के दौरान 39 से 71 प्रतिशत के मध्य व्यय किया।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने उत्तर दिया (जनवरी 2023/ फरवरी 2024) कि वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के लिए कम व्यय का कारण मुद्रण फर्मों के लंबित भुगतानों को अंतिम रूप न दिया जाना था और संबंधित विंगों/मंडलों द्वारा बजट के अधिकतम उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

iii. आयोडीन की कमी विकार घटक में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वर्ष 2016-17 में 33 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया था तथा 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। तथापि, इसने वर्ष 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 20 और 50 प्रतिशत निधियां खर्च की।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने उत्तर दिया (जनवरी 2023/ फरवरी 2024) कि नेशनल आयोडीन डेफिशियेंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत में 2016-17 से 2020-21 तक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा निगरानी की गई थी और खरीद प्रक्रिया में विलम्ब के कारण व्यय को दर्ज नहीं किया जा सका। कार्यक्रम को नवंबर 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2021-22 में, नमक परीक्षण किट की खरीद के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को मांग-पत्र भेजा गया था, लेकिन विक्रेता द्वारा एकल बोली भागीदारी के कारण, इसे समय पर नहीं खरीदा जा सका।

iv. उपकरणों/ड्रग्स की खरीद के लिए निधियों का उपयोग 12 से 67 प्रतिशत के मध्य किया गया था। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि देरी हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अंतरित ₹ 157.95 करोड़ की निधियों में से अब तक केवल ₹ 39.89 करोड़ का ही उपयोग किया गया है।

v. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप-केंद्रों के नव निर्माण/ नवीनीकरण एवं स्थापना हेतु बजट प्रावधान को वर्ष 2016-17 में ₹ 1.91 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में ₹ 122.75 करोड़ कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2018-19 के दौरान 85 प्रतिशत को छोड़कर, 2016-17 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान उपयोग की प्रतिशतता एक से 47 प्रतिशत के मध्य रही।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि कार्य में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को कई बार पत्राचार किया गया।

vi. वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान अस्पताल सुदृढ़ीकरण के लिए बजट प्रावधान ₹ 0.47 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 78.30 करोड़ किया गया। वर्ष 2016-17 और 2017-18

के दौरान किए गए व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 1,156 और 118 प्रतिशत थी। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए यह दो से 36 प्रतिशत के मध्य रही।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि अस्पताल सुदृढ़ीकरण गतिविधियों अर्थात अतिरिक्त भवन का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के प्रमुख उन्नयन के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को निधियां जारी की गई और कार्य प्रगति पर हैं। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को दिए गए अग्रिमों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर शेष राशि दर्ज की जाएगी।

vii. 2016-17 से 2022-23 के दौरान नवाचार गतिविधियों की निधियों के उपयोग में व्यापक अंतर था। इसी अवधि के दौरान निधियों का उपयोग चार से 134 प्रतिशत के मध्य रहा।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि यह एक नई गतिविधि है, इसे शुरू करने से पहले उच्च प्राधिकारियों से मंजूरी लेने में समय लगता है। इसके अलावा, इस गतिविधि को गैर सरकारी संगठन भागीदारों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को शामिल करके किया जाना है।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, बजट की उपलब्धता के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर व्यय बहुत कम था।

6.5.1 निधियों की अपर्याप्तता

मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना को जनवरी 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराना है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

i. सर्जरी पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत सर्जरी (केवल हरियाणा निवासियों के लिए)
ii. नि:शुल्क बेसिक प्रयोगशाला जांच के साथ नि:शुल्क एक्स-रे, ईसीजी और यूएसजी (जहां भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध हो)
iii. नि:शुल्क इनडोर सेवाएं
iv. नि:शुल्क ओपीडी सेवाएं
v. नि:शुल्क दवा आपूर्ति
vi. नि:शुल्क रेफरल परिवहन/एम्बुलेंस सेवाएं
vii. दांतों का नि:शुल्क इलाज

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्प्यूटिड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, डायलिसिस सेंटर भुगतान, दवाइयों,

लैब प्रभारों आदि के संबंध में ₹ 39.39 करोड़[1] की राशि के बिल 2016-17 से 2022-23 के दौरान ₹ 606.33 करोड़ से ₹ 1,357.93 करोड़ तक की कुल बचत के बावजूद विभाग द्वारा निधियां जारी न करने के कारण लंबित थे। भारी मात्रा में बिलों के लंबित होने के कारण, वेंडरों ने अपनी आपूर्ति/सेवाओं में कटौती कर दी/सूचित कर दिया कि वे अपनी आपूर्ति/सेवाओं में कटौती करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में असुविधा हुई।

इस प्रकार, स्वास्थ्य संस्थानों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां जारी नहीं की गई थी, जिसने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी को प्रभावित किया।

6.6 कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब

विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में निधियां राज्य के खजाने के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सोसायटी को अंतरित की जाती हैं। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समितियों द्वारा दावा किए जाने वाले ब्याज की दर निर्धारित की (अक्तूबर 2017) है, जहां राज्य के खजाने से राज्य स्वास्थ्य समितियों को निधियों के अंतरण में विलंब 15 दिनों से अधिक है। इसलिए, राज्य के खजाने में जमा होने के 15 दिनों के भीतर निधियों को आदर्श रूप से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा किसी अन्य विभाग को अंतरित करने की आशा की जाती है।

तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान निर्धारित अवधि से 1 से 262 दिनों के मध्य देरी से (दो निदेशालयों के मामले में) निधियां जारी की। इसके परिणामस्वरूप राज्य स्वास्थ्य समितियों को राज्य सरकार से ₹ 18.79 करोड़ का ब्याज देय हो गया, जैसा कि ***तालिका 6.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब

(₹ करोड़ में)

निदेशालय का नाम	स्वीकृत राशि	कोई विलंब नही	निर्धारित अवधि से 1 से 15 दिनों के मध्य विलंब से जारी की गई राशि	निर्धारित अवधि से 16 दिन से छः महीने के मध्य विलंब से जारी की गई राशि	निर्धारित अवधि से छः महीने से अधिक विलंब से जारी की गई राशि	ब्याज राशि
राज्य स्वास्थ्य सोसायटी/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,391.46	0	81.84	1,305.59	4.03	16.13
महानिदेशक, आयुष	140.10	0	0	132.56	7.54	2.66
कुल	**1,531.56**	**0**	**81.84**	**1,438.15**	**11.57**	**18.79**

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/आयुष द्वारा दी गई जानकारी

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने बताया (जनवरी 2023) कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा राज्य के खजाने से निधियां प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहा है।

महानिदेशक, आयुष विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि सहायता अनुदान को राज्य के खजाने

[1] ₹ 18.06 करोड़ (2018-19); ₹ 18.25 करोड़ (2019-20) और ₹ 3.08 करोड़ (2020-21)

से तब तक आहरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वित्त विभाग से राज्य के हिस्से की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। इसके कारण सहायता अनुदान जारी करने में विलंब हुआ।

6.7 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दवाओं एवं उपकरणों की खरीद के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को त्रैमासिक रूप से अग्रिम जारी करता है। निधियों की प्राप्ति के बाद, खरीद आदेश हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन अग्रिमों के विरूद्ध महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

दो योजनाओं[2] के संबंध में अग्रिमों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा करने पर, यह अवलोकित किया गया था कि हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जारी किए गए खरीद आदेश के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे, भले ही आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिबद्धता पूरी की गई हो या नहीं, या राशि का वास्तव में उपयोग किया गया हो या नहीं।

वर्ष 2020-23 के दौरान, हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 199 खरीद आदेशों के विरुद्ध महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को ₹ 17.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किए, जहां आपूर्ति अधूरी थी या आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

प्रबंध निदेशक, हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्वीकार किया (जनवरी 2023) कि पूर्व में जारी आपूर्ति आदेश के आधार पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे थे। भविष्य में, निधियों के उपयोग के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

6.8 स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाओं में निधियों की निगरानी

राज्य स्वास्थ्य सोसायटी/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न निगमों, विभागों, कंपनियों को अग्रिम देता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2018-19 से आज तक (जून 2022) ₹ 42.90 करोड़ के अग्रिम का समायोजन लंबित था, जैसा कि ***तालिका 6.4*** में विवरण दिया गया है:

तालिका 6.4: जून 2022 तक बकाया अग्रिम

क्र. सं.	कंपनी/निगम/विभाग आदि का नाम	से लंबित है	बकाया अग्रिम (₹ करोड़ में)
1	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कार्यकारी अभियंता, नूह	2019-20	13.00
2	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कार्यकारी अभियंता, पानीपत	2019-20	13.00
3	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कार्यकारी अभियंता, पंचकुला	2019-20	8.40
4	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कार्यकारी अभियंता, फरीदाबाद	2020-21	5.00
5	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	2018-19	2.32
6	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	---	1.18
	कुल		**42.90**

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा द्वारा दी गई जानकारी।

[2] अस्पतालों और अनुसूचित जाति के रोगियों के लिए दवाओं की खरीद।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि ₹ 1.18 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजित किए गए थे और ₹ 41.72 करोड़ असमायोजित रह गये। बाकी मामलों में या तो कार्य प्रगति पर था या किसी न किसी कारण से भुगतान रुका हुआ था।

इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकित किया गया था कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कोविड-19 के लिए ₹ 614.75 करोड़ की अग्रिम राशि प्राप्त हुई थी। इन निधियों के विरुद्ध, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान ₹ 590.39 करोड़ की राशि की दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए आपातकालीन खरीद आदेश (कोविड-19 खरीद आदेश) प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास प्रत्येक अग्रिम राशि के विरुद्ध निधियों के उपयोग के विवरण उपलब्ध नहीं थे क्योंकि कोविड-19 के दौरान खरीद के संबंध में मैनुअल प्रणाली का पालन किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आपूर्ति आदेशों की स्थिति के बारे में विवरण, चाहे वे पूर्ण हों/निष्पादन के लिए लंबित हों, हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध नहीं थे। उपर्युक्त उदाहरण विभिन्न विभागों से प्राप्त अग्रिमों के संबंध में कमजोर निगरानी और आंतरिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विभाग को विभिन्न विभागों को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास पड़े बकाया अग्रिमों को भी प्रमाणित करना चाहिए।

6.9 वित्तीय विवरणों को न अपनाना/अपनाने में विलंब

हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन नियम 2012 के नियम 24(1) में बताया गया है कि प्रत्येक सोसायटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने की अवधि के भीतर अपने विधिवत लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुमोदन और अपनाने के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासित सोसायटियों के लेखों को अंतिम रूप देने में काफी देरी हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i. परियोजना निदेशक, एड्स कंट्रोल सोसाइटी: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के वार्षिक लेखों को संबंधित वित्तीय वर्षों के छः महीने से अधिक की देरी से अनुमोदित किया गया था। जिन वर्षों में इन वार्षिक लेखों को अपनाया गया था, उनके दौरान कोई वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई गई थी।

ii. राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा: 2014 में इसकी स्थापना के बाद से वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और उन्हें अपनाने से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

महानिदेशक, आयुष विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की स्थापना से ही वित्तीय विवरण तैयार कर रही है तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी प्राप्त कर रही है। तथ्य यह है कि यद्यपि वित्तीय विवरण तैयार किए जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन नियम 2012 के नियम 24(1) के अंतर्गत वार्षिक आम बैठक में उन्हें अनुमोदित और अपनाया नहीं जा रहा था।

6.10 चयनित जिलों के लिए बजट और व्यय (भारत सरकार और राज्य)

नमूना-जांच किए गए जिलों में वर्ष 2016-22 के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित वर्षवार राजस्व बजट एवं राजस्व व्यय ***तालिका 6.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: नमूना-जांच किए गए जिलों में राजस्व बजट एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हिसार		पानीपत		नूंह		कुल		
	बजट	व्यय (प्रतिशत में)	बजट	व्यय (प्रतिशत में)	बजट	व्यय (प्रतिशत में)	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2016-17	68.00	67.21 (98.84)	39.91	40.40 (101.23)	22.43	18.09 (80.65)	130.38	125.69	3.60
2017-18	80.72	74.72 (92.57)	48.67	47.07 (96.71)	29.57	25.05 (84.71)	158.96	146.84	7.63
2018-19	81.87	81.43 (99.46)	51.28	50.49 (98.46)	38.17	35.27 (92.40)	171.32	167.19	2.41
2019-20	104.99	104.36 (99.40)	61.40	61.25 (99.76)	54.15	51.06 (94.29)	220.54	216.66	1.76
2020-21	122.43	122.92 (100.40)	69.98	69.11 (98.76)	49.58	47.77 (96.35)	241.99	239.79	0.91
2021-22	124.58	124.44 (99.89)	82.58	81.03 (98.12)	57.62	57.48 (99.76)	264.78	262.95	0.69
कुल	**582.59**	**575.08 (98.70)**	**353.82**	**349.35 (98.74)**	**251.52**	**234.72 (93.32)**	**1,187.97**	**1,159.12**	**2.42**

स्रोत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), हिसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पानीपत तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नूंह (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

6.11 अन्य मामले

6.11.1 बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्राप्त न करना/नवीनीकरण न करना

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना (7 दिसंबर 2021) के अनुसार, नए स्व-वित्तपोषित/निजी नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए, आवेदक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी, जिसे आशय-पत्र जारी किया गया है, को प्रत्येक एएनएम/जीएनएम[3] पाठ्यक्रम के लिए ₹ 15 लाख और प्रत्येक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए ₹ 20 लाख की बैंक गारंटी/ सावधि जमा रसीद जमा करानी होगी, जो पांच साल के लिए वैध होगी। आवेदक द्वारा अपेक्षित राशि की उक्त बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही आवेदक को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक को मूल गारंटी की समाप्ति की तिथि से कम से कम छ: महीने पहले पांच साल की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 65 नर्सिंग संस्थानों ने दिसंबर 2023 तक निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को 158 पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 26.65 करोड़ की बैंक गारंटी जमा/सावधि जमा रसीद नवीनीकृत नहीं करवाई, जबकि सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था। ये संस्थान बैंक गारंटी जमा/सावधि जमा रसीद नवीनीकृत किए बिना

[3] सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी/सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी।

पाठ्यक्रम चला रहे थे। बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद प्राप्त न करने से यह जोखिम पैदा होता है कि यदि संस्थान स्वयं को चलाने/बनाए रखने में सक्षम नहीं पाया जाता है, तो नामांकित छात्रों की पढ़ाई जारी रखना, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और संस्थान चलाने की अन्य लागतों को सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

6.12 निष्कर्ष

2016-17 से 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर पर भारत सरकार द्वारा आबंटित कुल बजट के विरूद्ध 18.3 प्रतिशत से 38.3 प्रतिशत तक तथा राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट के विरुद्ध 12.1 प्रतिशत से 25.7 प्रतिशत तक की बचत हुई थी। इसी अवधि के दौरान, भारत सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय का 10.7 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत के मध्य अंशदान दिया। यद्यपि स्वास्थ्य सेक्टर पर सरकारी खर्च 2016-23 के दौरान कुल व्यय के 3.82 प्रतिशत से बढ़कर 6.37 प्रतिशत हो गया, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की संभावना थी। जिला कार्यालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों से निधियों के निर्धारण के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बजाय, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर निधि की आवश्यकता केंद्रीय रूप से तय की गई थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में बजट अनुमान पिछले वर्ष के व्यय और 10 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि पर आधारित थे। इस प्रकार, बजट अनुमान तैयार करने में बॉटम-अप/व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जा रहा था। आगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों में बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय में व्यापक अंतर था। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत समग्र बचत के बावजूद विभाग द्वारा मांग के अनुसार निधियां जारी नहीं की गई थी।

6.13 सिफारिशें

1. **सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट आबंटन बढ़ाए।**
2. **स्वास्थ्य सेक्टर के निष्पादन को प्रभावित करने वाले सेक्टरों/योजनाओं में बजट आबंटन और आबंटन दक्षता में सरकार द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है।**
3. **सरकार निधियों की अवशोषण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बाधाओं/कारकों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए ठोस प्रयास करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा करे।**
4. **फील्ड कार्यालयों से मांग निर्धारण प्राप्त कर बॉटम-अप/व्यवस्थित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान तैयार किए जाने चाहिए।**